| आदेश की क्रमांक एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्यवाही |
|---|---|---|
| | 1 | |

# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, साहेबगंज।

**विविध वाद संख्या– 12/2023–24**

**राज्य सरकार**

**–बनाम–**

**सर्वश्री केडिया स्टोन वर्क्स,**

**प्रो0– प्रणव केडिया**

15/05/24

## –: आदेश :–

प्रस्तुत वाद जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक– 1317/एम0, दिनांक– 29.12.2023 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ करते हुए विपक्षी से कारणपृच्छा की मांग की गई।

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि दिनांक– 27.12.2023 को जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण में मौजा– गांगो पाड़ा दाग नं0– 45पी0, रकवा– 01 एकड़ इत्यादि क्षेत्र में अवैध खनन/परिवहन/भंडारण की जाँच की गई। जाँच के क्रम में मौजा– गांगोपाड़ा माको में सर्वश्री केडिया स्टोन वर्क्स, प्रो0– श्री प्रणव केडिया, पिता– श्री प्रकाश केडिया, ग्राम– मेनरोड बरहरवा, पो0+थाना– बरहरवा, जिला– साहेबगंज के भंडारण अनुज्ञप्ति की जाँच की गई। जाँच के क्रम में अनियमितता पाई गई। उनके द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदित किया गया हैः–

**जाँच के समय भंडारण स्थल पर पायी अनुपालन**

1. भंडारण स्थल पर सीमांकन किया हुआ पाया गया।
2. भंडारण स्थल पर स्थायी सीमास्तम्भ लगा हुआ पाया गया।
3. भंडारण स्थल पर साईबोर्ड लगा हुआ पाया गया।
4. भंडारण स्थल में सहमति पत्र (CTO) दिनांक– 31.03.2024 तक के लिए प्राप्त है।
5. निरीक्षण के समय लिए गये फोटोग्राफ संलग्न है।

**प्रतिवेदनः–**

1. दिनांक– 20.12.2023 को सूचना संज्ञान में आते ही पतना अंचल के मौजा– गांगोपाडा माको के दाग नं0– 45पी0, के रकवा 5.90 एकड़ क्षेत्र पर धारित खनन पट्टा जिसकी अवधि दिनांक– 06.11.2022 तक थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। वर्त्तमान में भंडारण कार्य किया जा रहा है।

**जाँच में भंडारण स्थल और भी अन्य अनियमितता पायी गयी जो निम्न प्रकार से हैः–**

1. समुचित वृक्षारोपण भंडारण क्षेत्र में नहीं किया गया है।
2. खनन परिचालन में उपयोग सड़को पर आंशिक रूप से जल छिड़काव किया जा रहा था, जो नियमति रूप से किया जाना था।
3. भंडारण क्षेत्र पर कोई कागजात संधारित नहीं दिखाया गया।

Scanned with OKEN Scanner

| आदेश की क्रमांक एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|



4. प्राप्त सहमति पत्र (CTO) के शर्तों का पूर्णता पालन नहीं किया जा रहा है।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। विपक्षी वकालतनामा के साथ उपस्थित। कारणपृच्छा एवं शपथ पत्र दाखिल।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कारणपृच्छा दाखिल कर अपने कारणपृच्छा में उल्लेख किये है कि मेरा पत्थर खनन पट्टा अवधि समाप्ति के उपरांत मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का अवैध पत्थर का भंडारण क्रशर ईकाई में नहीं किया गया है। वह वैध पत्थर खनन पट्टा से परिवहन चालान निर्गत कर ही पत्थर क्रय किया गया है। माह अक्टूबर 2023 से माह दिसम्बर 2023 तक का विवरणी संलग्न है, जिसमें भंडारण प्रतिष्ठान का नाम एवं विवरणी निम्न प्रकार है:–

| माह | बोल्डर फोर चिप्स | प्रतिष्ठान का नाम | लीज कोड |
|---|---|---|---|
| अक्टूबर– 2023 | 70800CFT | M/S ARS Enterprises | 0620208201 |
| नम्बर– 2023 | 29200CFT | M/S ARS Enterprises | 0620208201 |
| नम्बर– 2023 | 1,00,000CFT | M/S Shiv Shakti Stone Works | 0620378701 |
| दिसम्बर– 2023 | 57000CFT | M/S Shiv Shakti Stone Works | 0620378701 |
| दिसम्बर– 2023 | 1,00,000CFT | M/S Shiv Shakti Stone Works | 0620552501 |

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि दाखिल विवरणी के अनुसार विपक्षी द्वारा समय माह अक्टूबर 2023 से माह दिसम्बर 2023 तक काम किये है। विपक्षी को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची के द्वारा दिनांक– 28.04.2022 को CTO निर्गत की गई है, जिसकी वैधता दिनांक– 31.03.2025 तक है। उनके द्वारा क्रशर संचालन करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा दिनांक– 19.04.2024 को एक शपथ पत्र दाखिल कर कहना है कि:–

1. मेरा क्रशर प्लांट, साहेबगंज जिला अंतर्गत मौजा– गांगो पाड़ा माको का खाता नं0– 12, दाग नं0– 45पी0, रकवा– 1 एकड़ पर स्थित है।
2. NGT के द्वारा दिये गये सम्पूर्ण दिशा निदेर्शों को Norms का शत प्रतिशत पालन मेरे द्वारा किया जा रहा है।
3. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला (CTE, CTO, GST) आदि दस्तावेज प्राप्त करने के बाद ही क्रशर ईकाई का संचालन किया जा रहा था, जिसे भवदीय के आदेश से बंद किया गया है।
4. यह कि वर्तमान में मेरा उक्त क्रशर प्लांट बंद है, इसी दम्यान झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची एवं NGT द्वारा दिये गये सम्पूर्ण दिशा निदेर्शो Norms के आलोक में गहनता पूर्वक जाँच प्रड़ताल के बाद विपक्षी ने M/S KEDIA

Scanned with OKEN Scanner

STONE WORKS OCCUPIER NAME PRANAV KEDIA के नाम से दिनांक– 31.05.2025 तक की अवधि के लिए CTO प्राप्त हो चुका है।

5. मेरे द्वारा पत्थर और बोल्डर का क्रय विधिवत निबंधित लीज प्राप्त खननकर्ता से ही किया जाता है जिसकी विवरण पूर्व में मेरे द्वारा लिखित कथन में उल्लेखित है एवं दस्तावेज list of document के रूप में समर्पित किया जा चुका है जो कि अभिलेख में उपलब्ध है।

6. यह कि मै इस शपथ पत्र के माध्यम से यह घोषणा करता हूँ कि अपने क्रशर प्लांट के संचालन हेतु निबंधित लीज प्राप्त खनन कर्त्ता से ही पत्थर व बोल्डर का क्रय करूँगा, और यदि भविष्य में कभी मेरे द्वारा समर्पित यह शपथ–पत्र गलत पाया जाता है तो मेरे विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जायेगी जिसकी सारी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही एक मात्र मेरी स्वयं की होगी।

7. उनके द्वारा शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहना है कि प्रस्तुत दस्तावेज के साथ बंद पडे क्रशर प्लांट को पुनः चलाने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरांत सर्वश्री केडिया स्टोन वर्क्स, प्रो0– प्रणव कंडिका– (1) द्वारा संचालित क्रशर प्लांट मौजा– गांगोपाड़ा माको, जमाबंदी सं0– 12, दाग न0– 45पी, रकवा– 1.00 (एक) एकड़ भूमि पर अवस्थित क्रशर प्लांट को इस शर्त क्रशर संचालन की अनुमति दी जाती है कि The Jharkhand State Pollution Control Board, Jharkhand Ranchi से प्राप्त CTO में दिये गये निदेश एवं माननीय NGT के मापदण्डों के अनुपालन के साथ क्रशर संचालन करेंगे। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि 03 (तीन) महिने के अंतराल में जिला खनन टार्क्स फोर्स के द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार के अनियमितता पाये जाने पर पुनः क्रशर प्लांट को स्थायी रूप से बंद कर दिया जायेगा। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल/जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज/अंचल अधिकारी, पतना को भेजें। पारित आदेश से विपक्षी को भी अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

15/05/2024

जिला दण्डाधिकारी,<br>–सह–<br>उपायुक्त,<br>साहेबगंज।

15/05/2024

जिला दण्डाधिकारी,<br>–सह–<br>उपायुक्त,<br>साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.07.24 13:07:06 +05:30
Location: 192.168.29.165

Scanned with OKEN Scanner